दशक में दूसरा ऐसा अक्टूबर बीत रहा, जिसमें पहले पखवाड़े में पानी नहीं गिरा

पिछले साल 5 इंच बारिश हुई थी, बादल छाने से अगले दो दिन धूप से राहत रहेगी

भास्कर संवाददाता | इंदौर

बारिश की आस लगाए बैठे लोगों को इस बार अक्टूबर से भी निराशा ही हाथ लगी है। दशक में दूसरा ऐसा अक्टूबर है, जिसमें शुरुआती पखवाड़े में एक बूंद पानी नहीं बरसा, जबकि पिछले साल के अक्टूबर में 5 इंच बारिश हुई थी। नवरात्रि के छह दिन भीगे थे। प्रदेश में बारिश का सिस्टम सिर्फ ग्वालियर, चंबल संभाग में ही एक्टिव है। यह भी एकाध दिन में कमजोर हो जाएगा। इस वर्ष से पहले 2024 का अक्टूबर भी सूखा बीता था।

10 साल में अक्टूबर में बारिश

2016	37.7 मिमी
2017	2.5
2018	3.6
2019	25.5
2020	42.4
2021	53.8
2022	45.5
2023	0
2024	24.1
2025	130.5

हलके बादल छाएंगे, रात का तापमान बढ़ेगा

आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक अजयकुमार शुक्ला का कहना है कि मालवा में दो दिन बाद हलके बादल छाएंगे। दरअसल, पाकिस्तान तरफ से ठंड को प्रभावित करने वाला विक्षोभ सक्रिय होगा। बादल धूप से राहत देने वाले रहेंगे। दिन का तापमान जो पिछले 12 दिन से 35-36 डिग्री तक पहुंच रहा है, इसमें कमी आएगी। यह घटकर 32-33 डिग्री तक जाएगा, जबकि रात तापमान 19-20 डिग्री तक पहुंच जाएगा। पूरे महीने में ही मालवा में बारिश के कोई आसार नहीं हैं।

दोस्तों-रिश्तेदारों को यदा-कदा ब्याज पर रुपए उधार देना साहूकारी नहीं : कोर्ट

चेक बाउंस मामला : 22.73 लाख मुआवजा राशि चुकाने के आदेश

भास्कर संवाददाता | इंदौर

चेक बाउंस के अहम मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपम तोमर की अदालत ने आरोपी नंदलाल झंवर को दोषी करार देते हुए 1 साल के कारावास और 22 लाख 73 हजार 500 रुपए की मुआवजा राशि चुकाने का आदेश दिया है।

मुकदमे के दौरान आरोपी की ओर से दलील दी गई थी कि परिवादिनी इंद्रादेवी न्याति बिना रजिस्ट्रेशन के साहूकारी का व्यवसाय करती हैं, इसलिए म.प्र. साहूकारी अधिनियम के तहत यह परिवाद चलने योग्य नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मित्र और निकटतम परिवारजन को यदा-कदा ब्याज पर उधार देने वाले व्यक्ति को साहूकार नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने माना कि परिवादिनी द्वारा दी गई राशि वैध वसूली योग्य थी। तय समय में राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को चार महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह था पूरा मामला : अधिवक्ता सौरभ नीमा ने बताया आरोपी नंदलाल ने व्यवसाय के लिए 20 लाख रुपए उधार लिए थे। बाद में 5 लाख रुपए चुकाकर शेष 15 लाख का चेक दिया था, जो बैंक में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया था। नियमानुसार नोटिस देने के बाद भी भुगतान न होने पर परिवाद पेश किया गया था।

आबकारी विभाग के गोदाम में लगी आग, जब्त 13 कारें, एक ऑटो खाक

इंदौर | आबकारी विभाग के एक खुले गोदाम में मंगलवार दोपहर भीषण आग लग गई। चपेट में आने से वहां खड़ी 13 जब्त कारें और एक ऑटो रिक्शा जलकर खाक हो गए। यह घटना सिलिकॉन सिटी के पास कादंबरी नगर में दोपहर करीब 1 बजे हुई। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया।

फायर ब्रिगेड के सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार दुबे ने बताया दोपहर 1 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। फायर ब्रिगेडकर्मियों ने करीब 20 हजार लीटर पानी का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाया। आग लगने के स्पष्ट कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिकारी जांच कर रहे हैं।

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केंद्रीय विश्वविद्यालय)

ईओआई सं. R/IWD/2026/1663 सागर, दिनांकः 13.10.2026

अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण (Expression of Interest)

कार्य का नाम : डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में निम्नलिखित भवनों के निर्माण कार्यों हेतु तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन सेवाएँ (Third Party Quality Assurance Services TPQAS) प्रदान करने के लिए केवल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) एवं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NITS) से अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

1. इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हेतु भवन। 2. होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग संस्थान, आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान तथा प्रबंधन अध्ययन एवं वाणिज्य संकाय हेतु एकीकृत भवन। 3. 1000 छात्राओं की क्षमता वाला छात्रावास। 4. 1000 छात्रों की क्षमता वाला छात्रावास। 5. स्वास्थ्य केंद्र। 6. परीक्षा-सह-कंप्यूटर प्रयोगशाला/आईटी सेल/ऑनलाइन केंद्र। 7. बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र।

ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 03.11.2026 को सायं 5:00 बजे तक। विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dhsgsu.edu.in & https://eprocure.gov.in/eprocure/app से डाउनलोड किया जा सकता है।

कुलसचिव
डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश)

खाद्य प्रतिष्ठानों से सैंपल लिए, नोटिस की तैयारी

भास्कर संवाददाता | इंदौर

खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने मंगलवार को खाद्य प्रतिष्ठानों से 20 नमूने जांच के लिए लिए। इनमें कचौरी, मिर्च, मैदा, सोयाबीन तेल, मलाई बर्फी, मिल्क केक, मोमोज, आटा, चिप्स, पाम ऑइल सहित अन्य खाद्य सामग्री के हैं। इन नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

टीम द्वारा स्कीम-78 स्थित द करी किचन में खाद्य पदार्थ खुले रखने, भंडारण व्यवस्थित नहीं होने, कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र व पानी की जांच रिपोर्ट नहीं मिलने पर नोटिस देने की तैयारी है। द्वारकापुरी के जयश्री जगदीश्वर नमकीन, स्वीट्स एवं डेयरी में भी जरूरी दस्तावेज नहीं मिले। निपानिया स्थित स्विन्स्टा ईएनटी प्राइवेट लिमिटेड में खाद्य-अखाद्य सामग्री साथ रखी मिली। यहां डीप फ्रीजर का डिस्प्ले बंद था। अधिकारियों के अनुसार, लव यू पिज्जा एंड सैंडविच से मोमोज का नमूना लिया गया। इसके अलावा ममता फूड्स नावदा पंथ से फरियाली आलू चिप्स एवं चरखा आलू मिक्सचर के 2 नमूने लिए।

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम | A Government of India Undertaking | सिंडिकेट Syndicate

प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड़, बैंगलूर - 562002

क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर फोन: 70499 19126

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **केनरा बैंक, वाय.एन. रोड शाखा, इंदौर** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन **अधिनियम** 2002 की धारा के अंतर्गत, सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) **अधिनियम 2002 का अधिनियम संख्यांक 54** के साथ पठित, **सेक्शन 13 (12) नियम 3** के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को नोटिस जारी कर ऋणियों को नोटिस की तारीख/ नोटिस प्राप्ति को तारीख से **60 दिन** के अंदर उक्त खाते के सामने दर्शाई गई राशि अदा करने के लिए कहा था। ऋणी उक्त राशि चुकाने में असफल रहा है अतः ऋणियों तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट के सेक्शन **13 (4)** उक्त एक्ट के साथ पठित उक्त रूल्स के नियम **9** के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित संपत्ति का कब्जा उक्त खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को ले लिया है। एतद् द्वारा ऋणियों को विशेष एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि उक्त संपत्ति विषयक कोई संव्यवहार न करें ऐसा कोई भी संव्यवहार वसूल की जाने वाली उल्लेखित राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं अन्य खर्चों हेतु **केनरा बैंक, वाय.एन. रोड शाखा, इंदौर** के प्रभार के अधीन रहेगा।

क्रं.	शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	ऋणी/जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	मांग नोटिस की बकाया राशि (₹)	मांग नोटिस की दिनांक / कब्जा लेने/चस्पा करने की दिनांक
1.	वाय.एन. रोड शाखा, इन्दौर 9109919430	मेसर्स नर्मदा फूड इंडस्ट्रीज, प्रो. श्रीमती नीला गोयल, श्रीमती नीला गोयल पति मालुराम गोयल (ऋणी) एवं श्री मालुराम गोयल पिता किशोरीलाल गोयल (जमानतदार)	1. प्लाट नं. 20, 21, 22 एवं 42, 43, 44 (टाईप III) पर स्थित लीजहोल्ड ओद्योगिक भूमि एवं भवन, फूड प्रोसेसिंग पार्क, निमरानी, तहसील कसरावद, जिला खरगोन (म.प्र.) 451660, **क्षेत्रफल: 5184 वर्गमीटर, मालिक: मेसर्स नर्मदा फूड इंडस्ट्रीज, प्रो. श्रीमती नीला गोयल, चर्तु:सीमा: उत्तर:** 18 मीटर चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** 12 मीटर चौड़ी सड़क, **पूर्व:** प्लाट नं. 19 एवं प्लाट नं. 41, **पश्चिम:** 18 मीटर चौड़ी सड़क 2. सर्वे नं. 213/1 पैकी पर स्थित भूमि एवं भवन, ग्राम पालदा, तहसील एवं जिला इन्दौर (म.प्र.) 452001, **क्षेत्रफल: 6789 वर्गफीट, मालिक: श्रीमती नीला देवी पति मालुराम गोयल, चर्तु:सीमा: उत्तर:** सर्वे नं. 311 की भूमि, **दक्षिण:** सरोज देवी की भूमि सर्वे नं. 213/1 (पैकी), **पूर्व:** शक्ति देवी की भूमि सर्वे नं. 213/1 (पैकी), **पश्चिम:** आम रास्ता 3. लीजहोल्ड रहवासी फ्लेट नं. डी-37, पाँचवीं मंजिल, नवलखा कॉम्प्लेक्स, स्कीम नं. 31, सेक्टर-डी, इन्दौर (म.प्र.) 452001, **क्षेत्रफल: 66.41 वर्गमीटर, मालिक: श्री मालुराम गोयल पिता किशोरीलाल गोयल, चर्तु:सीमा: उत्तर:** फ्लेट नं. एस-38, **दक्षिण:** एमओएस, **पूर्व:** कॉमन पेसेज, **पश्चिम:** एमओएस	**8,54,06,455.76** + दिनांक 01.07.2026 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे	**30.07.2026** **09.10.2026**

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 14.10.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

मतदाता सूची में छूटे नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी

इंदौर | आप, भाजपा, कांग्रेस, भाकपा व बसपा प्रतिनिधियों की बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा की अध्यक्षता में निर्वाचन कार्यालय में हुई। इसमें मतदाता सूची में सुधार व छूटे नाम जोड़ने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान को लेकर चर्चा हुई। झा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के माध्यम से सहयोग मांगा और स्पष्ट किया कि फॉर्म-6 के साथ अलग घोषणा-पत्र की जरूरत नहीं है। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर.पी.एस. जादौन, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय श्रीवास्तव, राजेश यादव एवं वीरेंद्र सिंह भी मौजूद थे।

छह माह में अवैध शराब के 4173 प्रकरण दर्ज

इंदौर | आबकारी विभाग ने 1 अप्रैल से 12 अक्टूबर तक अवैध मदिरा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4173 प्रकरण दर्ज किए। इस दौरान 34,275 लीटर अवैध शराब और 76,071 किलो महुआ लहान जब्त किया। इसके अलावा 98 वाहन भी जब्त किए गए। जब्त शराब, महुआ लहान, वाहनों और अन्य सामग्री की कीमत करीब 4 करोड़ 39 लाख है। मदिरा के अवैध निर्माण, परिवहन, बिक्री और भंडारण पर रोक के लिए निगरानी बढ़ाने तथा नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक: 1287/लीज़/2026 — **जाहिर सूचना** — दिनांक: 12/10/2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्य प्रदेश अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 एवं संशोधित 04.05.2021 के प्रावधान अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा निगम स्वामित्व की लीज भूमि/ भवन पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। तालिका में वर्णित भूमि के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ संस्था को नामांतरण के संबंध में दावा-आपत्ति/ सुझाव हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिन में लेखी प्रमाण के साथ निगम कार्यालय (लीज़ शाखा) में सम्पर्क कर प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं आवेदक के पक्ष में लीज नामांतरण की कार्यवाही हेतु नगर निगम द्वारा यथोचित निर्णय लिया जावेगा।

क्र.	मूल/पूर्व लीज गृहिता का नाम	आवेदक का नाम	लीज सम्पति का विवरण	आवेदन का आधार
1	श्रीमती दुलारी रानी पति कामता प्रसाद गुप्ता	श्री रवींद्र कुमार गुप्ता श्रीमती शैलबाला अग्रवाल	23/2, ओल्ड पालसिया ब्लॉक नं. 7-a, इंदौर	वारिसनाते के आधार पर नामांतरण
2	आलोक गृह निर्माण संस्था तर्फे सज्जन कुमार केसरी	श्रीमती दीपसीखा सिंह श्री कृष्णप्रताप सिंह	फ्लैट नं. 20) 101 आलोक (ए-21 अपार्टमेंट/ 2, मनोरमागंज, इंदौर	विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण
3	आलोक गृह निर्माण संस्था तर्फे सज्जन कुमार केसरी	डॉ. भगवान दास पिता बाबूलाल कलंत्री	16-बी, 21 आलोक अपार्टमेंट/2, मनोरमागंज, इंदौर	विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण
4	आलोक गृह निर्माण संस्था तर्फे सज्जन कुमार केसरी	श्रीमती अंजुला कुमारी पौरस	फ्लैट नं. 19) 301 आलोक (ए-21 अपार्टमेंट/2, मनोरमागंज, इंदौर	विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण
5	आलोक गृह निर्माण संस्था तर्फे सज्जन कुमार केसरी	श्री कृष्णप्रताप सिंह पोरस	फ्लैट नं. 21) 301 आलोक (बी-21 अपार्टमेंट/2, मनोरमागंज, इंदौर	विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण
6	आलोक गृह निर्माण संस्था तर्फे सज्जन कुमार केसरी	श्री अश्विन गोहेल श्रीमती हर्षा गोहेल	फ्लैट नं. 10, (102-बी आलोक (21 अपार्टमेंट/2, मनोरमागंज, इंदौर	विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण
7	आलोक गृह निर्माण संस्था तर्फे सज्जन कुमार केसरी	श्री अश्विन गोहेल	फ्लैट नं. 4, बी-(g2 आलोक (बी-21 अपार्टमेंट/2, मनोरमागंज, इंदौर	विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण
8	आलोक गृह निर्माण संस्था तर्फे सज्जन कुमार केसरी	श्री लक्ष्मीकांत पिता स्व. गुलबदास लौंड श्रीमती पद्म पति लक्ष्मीकांत लौंड	फ्लैट नं. 8, (102 आलोक (ए-21 अपार्टमेंट/2, मनोरमागंज, इंदौर	विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण
10	आलोक गृह निर्माण संस्था तर्फे सज्जन कुमार केसरी	श्रीमती सुलोचना दुबे	फ्लैट नं. 21) 302 आलोक (ए-21 अपार्टमेंट/2, मनोरमागंज, इंदौर	विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण
11	आलोक गृह निर्माण संस्था तर्फे सज्जन कुमार केसरी	श्री कृष्णप्रताप सिंह पोरस	फ्लैट नं. 21) 302 आलोक (ए-21 अपार्टमेंट/2, मनोरमागंज, इंदौर	विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण
12	आलोक गृह निर्माण संस्था तर्फे सज्जन कुमार केसरी	श्री संतोष पिता विश्वनाथ सोनोने श्रीमती हेमागिनी पति संतोष सोनोने	फ्लैट नं. 14 आलोक अपार्टमेंट, ए-21/2, मनोरमगंज, इंदौर	विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण
13	श्रीमती बसंती बाई पिता स्व श्री मथुरा प्रसाद	श्री संजय पिता शीतल प्रसाद	24/2, मूराई मोहल्ला, इंदौर	वारिसनाते के आधार पर नामांतरण

उपायुक्त
लीज़ शाखा
नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

pnb ...the name you can BANK upon!

एआरएमबी इंदौर :20 स्नेह नगर, सपना संगीता रोड़, इन्दौर (म.प्र.), मो. 98351 92571 एवं ई-मेल : cs6885@pnb.co.in

अचल संपत्तियो की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं 9 (1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना।

आम लोगों को सामान्यतः और ऋण लेने वाले ऋणीयों और जमानतदारों/बंधककर्ता को विशेष रुप से यह सूचित किया जाता है कि सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित की गई निम्न वर्णित अचल संपत्तियों, जिनका रचनात्मक/भौतिक/प्रतिकात्मक कब्जा निम्न विवरण के अनुसार बैंक/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, का विक्रय ऋणीयों और जमानतदारों/बंधककर्ता से बैंक/सुरक्षित लेनदार द्वारा निम्न बकाया राशि की वसूली के लिये **जहां हैं, जैसा है, जो भी है, जो कुछ भी है के आधार पर** नीचे तालिका में दी गई उल्लेखित दिनांक को किया जायेगा। प्रत्येक संपत्ति का आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि, वृद्धि राशि तथा अन्य विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

लॉट नं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / ऋणी/जमानतदार/ खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/ मालिक का नाम (संपत्ति(यों) के गिरवीकर्ता)	A) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस की तिथि B) 13(2) नोटिस बकाया राशि दिनांक तक C) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि D) कब्जे की प्रकृति प्रतीकात्मक/ भौतिक/रचनात्मक	A) आरक्षित मूल्य B) ईएमडी C) बोली बढ़ाने की राशि	ई-नीलामी की दिनांक/ समय	संपत्ति लोकेशन QR कोड
1.	**श्री विनोद हरियाणी पिता श्री अशोक हरियाणी एवं श्रीमती एकता हरियाणी पति श्री विनोद हरियाणी मेसर्स स्वास्तीक सेल्स (प्रोप. श्री विनोद हरियाणी) शाखा :** विजय नगर, इन्दौर **खाता सं.: 462200NC00003655, 462200NC00003664, 462200NC00003673 एवं 4622008700001310**	अचल संपत्ति, प्लॉट नं. 118, सेक्टर ए, शिवधाम कॉलोनी, ग्राम लिम्बोदी, खंडवा रोड, इंदौर, म.प्र. **क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट (92.93 वर्गमीटर), चर्तुसीमाः** पूर्वः अन्य भूमि, पश्चिमः कॉलोनी रोड, उत्तरः प्लॉट नं. 119, दक्षिणः प्लॉट नं. 117 **संपत्ति मालिकः श्री विनोद हरियाणी पिता श्री अशोक हरियाणी एवं श्रीमती एकता हरियाणी पति श्री विनोद हरियाणी** संपत्ति आईडी:- PUNB68853655	A) 05.05.2026 B) 1,83,33,406.89/- + ब्याज + अन्य खर्चे C) 21.07.2026 D) सांकेतिक आधिपत्य	88,60,000.00 8,86,000.00 50,000.00	31.10.2026 प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक (10 मिनिट के असिमित विस्तार के साथ)	
2.	**मैसर्स श्री दादाजी ऑईल मिल्स एंड इंडस्ट्रीज (प्रोप्रा.: श्री मनीष बलवानी, पिता श्री अशोक बलवानी) जमानतदार:** 1. श्री मनीष बलवानी पिता श्री अशोक बलवानी 2. श्री राजेश बलवानी पिता श्री घनश्याम दास बलवानी	**संपत्ति 1:** कमर्शियल संपत्ति (दुकान), भूतल पर स्थित, 'कल्लन गंज', वार्ड क्रमांक 21 (नया वार्ड 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी' वार्ड क्रमांक 23), नजूल ब्लॉक क्रमांक 17, प्लॉट क्रमांक 31/2, खंडवा (मध्य प्रदेश) कुल क्षेत्रफलः 195 वर्ग फीट, **चर्तु:सीमाएँ (विक्रय विलेख के अनुसार):** पूर्वः सार्वजनिक मार्ग, पश्चिमः श्री राजेश गुलाटी का गोदाम, उत्तरः श्री श्यामसुंदर विशवानी की दुकान, दक्षिणः सार्वजनिक मार्ग, **संपत्ति स्वामी: श्री रोहित बलवानी पिता श्री नानकराम बलवानी** संपत्ति आईडी:- PUNB688590353	A) 29/12/2025 B) 4,86,48,227.26/- ब्याज + अन्य खर्चे C) 24.03.2026 D) सांकेतिक आधिपत्य	33,97,000.00 3,39,700.00 50,000.00	31.10.2026 प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक (10 मिनिट के असिमित विस्तार के साथ)	
3.	3. श्री रोहित बलवानी पिता श्री नानकराम बलवानी **शाखा:** खंडवा **खाता संख्या: 026400870009035 & 026400IN00000036**	**संपत्ति 2:** कमर्शियल संपत्ति (दुकान), भूतल पर स्थित, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्रमांक 23, कल्लन गंज, नज़ूल ब्लॉक क्रमांक 17, प्लॉट क्रमांक 31/2, खंडवा (मध्य प्रदेश) कुल क्षेत्रफलः 195 वर्गफीट, **चर्तु:सीमाएँ (विक्रय विलेख के अनुसार):** पूर्वः सार्वजनिक मार्ग, पश्चिमः श्री प्रकाश नरेडी का गोदाम, उत्तरः श्री अशोक नवानी की दुकान, दक्षिणः श्री अमित दुलानी की दुकान, **संपत्ति स्वामी: श्री रोहित बलवानी, पिता - श्री नानकराम बलवानी** संपत्ति आईडी:- PUNB688590354		33,18,000/- 3,31,800/- 50,000/-	31.10.2026 प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक (10 मिनिट के असिमित विस्तार के साथ)	
4.	**मेसर्स ओम एग्रीटेक (प्रोपराइटर: श्री ललित शिंदे पिता श्री राम चंद्र शिंदे) शाखा :** जवाहर मार्ग, इन्दौर **खाता संख्या:** 193600870001816	डायवर्टेड भूमि सर्वे नंबर 108/3/3, ग्राम चितावद, तहसील एवं जिला इंदौर (म.प्र.) पर स्थित आवासीय प्लॉट की अचल संपत्ति का साम्यिक बंधक, जिसका **क्षेत्रफल** 2030.94 वर्ग मीटर है (*टी एंड सी लेटर के अनुसार एवं प्लांट क्षेत्रफल = 2962.00 वर्ग मीटर मूल्यांकनकर्ता गौरव नागदे के दिनांक 21.01.2026 के मूल्यांकन के अनुसार वास्तविक माप के आधार पर चौड़ी सड़क का क्षेत्र घटाने के बाद शुद्ध भूमि क्षेत्रफल 2030.94 वर्ग मीटर है)। **चर्तुसीमाएं इस प्रकार हैं:** उत्तर-पूर्वः सड़क, दक्षिण-पश्चिमः नाला, उत्तर-पश्चिमः सर्वे नंबर 108 की भूमि, दक्षिण-पूर्वः सड़क, **संपत्ति मालिक:** श्री प्रकाश हार्डिया पिता स्व. श्री कन्हैया लाल हार्डिया **(मृत्यु दिनांक: 18.06.2024),** श्रीमती शकुंतला बाई पति स्व. श्री कन्हैया लाल हार्डिया, श्री पुरुषोत्तम हार्डिया पिता स्व. श्री कन्हैया लाल हार्डिया, श्री नवीन हार्डिया पिता स्व. श्री कन्हैया लाल हार्डिया **(मृत्यु दिनांक: 21.12.2018).** संपत्ति आईडी:- PUNB82010022365	A) 22/09/2025 B) 2,04,51,889.83/- + ब्याज + अन्य खर्चे C) 06/12/2025 D) सांकेतिक आधिपत्य	7,47,00,000.00 74,70,000.00 1,00,000.00	03.11.2026 प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक (10 मिनिट के असिमित विस्तार के साथ)	
5.	**1. श्री अभिषेक चौहान पिता श्री महेन्द्र सिंह चौहान 2. श्रीमती सुधा चौहान पति श्री महेन्द्र सिंह चौहान 3. श्री नितेश चौहान पिता श्री महेन्द्र सिंह चौहान 4. श्री महेन्द्र सिंह चौहान पिता श्री विश्वेश्वर सिंह चौहान शाखा :** इंदिरा कॉम्प्लेक्स, इंदौर **खाता क्रं. 323800NC00002474, 323800990000583, 323800RF00000130**	भूमि एवं भवन, पूर्वी भाग पर स्थित प्लॉट नंबर 7 (पेकी) बियाबानी, गली नंबर 2, इंदौर (म.प्र.) **क्षेत्रफल-** 1069.25 वर्गफीट **चर्तुसीमाएँ:** पूर्वः दाजीभाऊ करडे का मकान, पश्चिमः मकान नंबर 7/2 का बचा हुआ भाग, उत्तरः सरकारी सड़क , दक्षिण: सरकारी सड़क **सम्पत्ति मालिक:** श्री नितेश चौहान पिता श्री महेंद्र सिंह चौहान, श्री अभिषेक चौहान पिता श्री महेंद्र सिंह चौहान एवं श्रीमती सुधा चौहान पति श्री महेंद्र सिंह चौहान संपत्ति आईडी:- PUNBC9A10075551	A) 21-02-2024 B) 89,93,097.02/- ब्याज + अन्य खर्चे C) 22-05-2024 D) सांकेतिक आधिपत्य	94,61,000/- 9,46,100/- 50,000/-	03.11.2026 प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक (10 मिनिट के असिमित विस्तार के साथ)	
6.	**श्री शैलेष मुकाती पिता कृष्णकांत एवं श्रीमती रुपाली मुकाती पति शैलेष मुकाती शाखा :** SGSITS **खाता संख्या : 091110NC00001026, 091110NC00001044 & 091110NC00001150**	फ्लैट नं. 403, चौथी मंजिल, रौनक विला, 19/1, रोशन सिंह भंडारी मार्ग, रेसकोर्स रोड, इंदौर (म.प्र.) **सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र:** 1566 वर्गफीट, **बिल्ट-अप क्षेत्र:** 1096.20 वर्गफीट, **चर्तुसीमा इस प्रकार हैं:** पूर्वः प्लॉट नं. 20/1, पश्चिमः प्रकोष्ठ नं. 404, उत्तरः इस भूमि का शेष भाग, दक्षिणः प्रकोष्ठ नं. 402. **संपत्ति मालिक :** श्री शैलष मुकाती पिता श्री कृष्णकांत मुकाती संपत्ति आईडी:- PUNB68851026	A) 01/01/2026 B) 1,38,11,650.65/- ब्याज + अन्य खर्चे C) 02/04/2026 D) सांकेतिक आधिपत्य	88,40,000.00 8,84,000.00 1,00,000.00	03.11.2026 प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक (10 मिनिट के असिमित विस्तार के साथ)	

नियम एवं शर्तें : बिक्री प्रतिभूमि हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों तथा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगीः

1. संपत्तियां **''जहां है, जैसी है'' और ''जो भी है, जैसी है''** के आधार पर बेची जा रही हैं।
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. बिक्री वेबसाइट **https://baanknet.com** पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी।
5. सुरक्षित ऋणदाताओं को ज्ञात भारों का विवरण **पंजाब नैशनल बैंक.**
4. बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** एवं **www.pnbindia.in** देखें।
6. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
7. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **क्रमांक 1 से 3 तक दिनांक 30.10.2026, क्रमांक 4 से 6 तक दिनांक 02.11.2026 रात्रि 11.59 बजे तक**

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) एवं 9 (1) के अधीन सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांक : 14.10.2026
स्थान : इन्दौर

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार)